BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A 1090/2024

IN THE MATTER OF

Madhuban Bapudham Welfare Society **...Applicant**

Versus

Nagar Nigam Ghaziabad & Ors **...Respondents**

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE
1.	**Short Reply on behalf of Ghaziabad Development Authority (Respondent No. 2) along with affidavit**	1-3
2.	**ANNEXURE A-1** True copy of the Letter No. 491/EE Zone-03/2023-24 dated 27.06.2023	4
3.	**ANNEXURE A-2** True copy of the Letter No. 47/4/EE Zone-03/2023-24 dated 26.07.2023	5
4.	**ANNEXURE A-3** True Copy of Letter No. 181/4/EE Zone-03/2023-24 dated 21.09.2023	6
5.	**ANNEXURE A-4** True Copy of Letter No. 316/4/EE Zone-03/2023-24 dated 06.12.2023.	7

6.	**ANNEXURE A-5** True Copy of Letter No. 476/4/EE Zone-03/2023-24 dated 17.02.2024.	**8**
7.	**ANNEXURE A-6** True Copy of Letter No. 279/4/EE Zone-03/2023-24 dated 09.04.2024.	**9-10**
8.	**ANNEXURE A-7** True Copy of Letter No. 846/4/EE Zone-03/2023-24 dated 21.08.2024	**11**
9.	**Proof of Service**	**12**

RESPONDENT NO. 2

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

THROUGH

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-On-Record,Supreme Court
Reg. No. UP4143A/14
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block
Supreme Court of India
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida
Ph.: 7838848157, 9315614163

YAGYAWALKYA SINGH
D&Y Law Chambers
Counsels for Petitioner
A-131, LGF, Block-A, Sector-46
Noida, UP-201301
Email: yagyawalkyasingh@gmail.com
Contact: 7838848157

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A 1090/2024

Madhuban Bapudham Welfare Society ……………**Applicant**

Versus

Nagar Nigam Ghaziabad & Ors. …………**Respondents**

Short Reply on behalf of Ghaziabad Development Authority (Respondent No. 2)

1. It is respectfully submitted before this Hon'ble Court that the Ghaziabad Development Authority (GDA) constructed a Sewage Treatment Plant (STP) with a capacity of 56 M.L.D. for sewage disposal in Pocket-D of Madhuban-Bapudham Scheme. During the Kavad Yatra held in the month of Shravan, Meerut Road was blocked. Consequently, the District Administration of Ghaziabad, through its immediate directive, instructed the Ghaziabad Nagar Nigam to temporarily utilize the said STP for garbage collection as an alternative arrangement. This directive was issued with the condition that the garbage would be removed from the STP once the Kavad Yatra concludes from here to the dumping ground situated on Meerut Road.

In response, the Answering Respondent GDA, issued multiple official letters to address the following:

- Letter No. 491/EE Zone-03/2023-24 dated 27.06.2023

  A true copy of the Letter dated 27.06.2023 is marked and annexed herewith as **ANNEXURE – A-1.**

- Letter No. 47/4/EE Zone-03/2023-24 dated 26.07.2023

  A true copy of the Letter dated 26.07.2023 is marked and annexed herewith as **ANNEXURE – A-2.**

- Letter No. 181/4/EE Zone-03/2023-24 dated 21.09.2023

  A true copy of the Letter dated 21.09.2023 is marked and annexed herewith as **ANNEXURE – A-3.**

- Letter No. 316/4/EE Zone-03/2023-24 dated 06.12.2023.

  A true copy of the Letter dated 06.12.2023 is marked and annexed herewith as **ANNEXURE – A-4.**

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

- Letter No. 476/4/EE Zone-03/2023-24 dated 17.02.2024.

  A true copy of the Letter dated 17.02.2024 is marked and annexed herewith as **ANNEXURE – A-5.**

- Letter No. 279/4/EE Zone-03/2023-24 dated 09.04.2024.

  A true copy of the Letter dated 09.04.2024 is marked and annexed herewith as **ANNEXURE – A-6.**

- Letter No. 846/4/EE Zone-03/2023-24 dated 21.08.2024.

  A true copy of the Letter dated 21.08.2024 is marked and annexed herewith as **ANNEXURE – A-7.**

2. Further, it is submitted before this Hon'ble Court that Ghaziabad Development Authority works under the aegis of Housing and Urban Planning Department Govt. of Uttar Pradesh. The orders of the District Magistrate is binding upon the answering Respondent and under the said immediate orders only on temporary usage of STP for collecting garbage was done. GDA has constantly written letters to the Nagar Nigam Ghaziabad for the removal of said garbage from the STP, these letters have been annexed for kind perusal of the Hon'ble Court along with this reply.

RESPONDENT NO. 2

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

THROUGH

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-On-Record, Supreme Court
Reg. No. UP4143A/14
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block
Supreme Court of India
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida
Ph.: 7838848157, 9315614163

YAGYAWALKYA SINGH
D&Y Law Chambers
Counsels for Petitioner
A-131, LGF, Block-A, Sector-46
Noida, UP-201301
Email: yagyawalkyasingh@gmail.com
Contact: 7838848157

NOTARIAL NOTARIAL

नोटरी NOTARY प्रेम प्रकाश गर्ग नोटरी गाजियाबाद (उ०प्र०) 04 (13) 92 UTTAR PRADESH

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A 1090/2024

IN THE MATTER OF

Madhuban Bapudham Welfare Society ...**Applicant**

Versus

Nagar Nigam Ghaziabad & Ors ...**Respondents**

AFFIDAVIT

I, Sudhir Kumar Pandey S/o Late Shiv Prasad Pandey, aged about 57 years, presently posted at: Asstt Engr., and R/o in Ghaziabad Development Authority. do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the authorized representative of the Respondent in the aforesaid matter and I am well conversant with the facts and circumstances of the case and I am competent to swear the present affidavit.
2. That the contents of the accompanying reply have been read over to me, which I understood and I state that the contents from para 01 to 02 are based the record maintained by me and further as per the legal advice received and believed by me to be true.
3. That Annexures attached with present reply are true copies of their originals.

DEPONENT

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

VERIFICATION

Verified at New Delhi on this ____________ day of _________________ that the contents of the aforesaid affidavit are true to the correct of me knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

नोटरी NOTARY प्रेम प्रकाश गर्ग नोटरी गाजियाबाद (उ०प्र०) 04 (13) 92 UTTAR PRADESH

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार पांडेय
सुपुत्र श्री स्व. शिवप्रसाद पांडेय निवासी AE, GDA, गाजियाबाद
ने आज दिनांक 05/12/24 को प्रातः/सायं
श्री ________ के परिचय से
यह शपथ पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया
क्रमांक 42

प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटरी
गाजियाबाद (उ०प्र०)

05/12/2024

ANNEXURE A-1

235

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 491 / E.E. ज़ोन-3/ 2023–24

दिनांक 27.6.2023

महत्वपूर्ण / आवश्यक

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषयः– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के डी पॉकेट स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी के अन्दर विगत वर्ष जमा किये गये कूड़े का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बन्द रहने के कारण नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम के एसटीपी में जमा किया गया था। इस कूड़े को जमा करते समय यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा यहां से मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्राउण्ड पर शिफ्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश प्राप्त हुए थे परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को अभी तक यहां से शिफ्ट नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी उक्त कूड़े को हटाने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है। IGRS के माध्यम से भी कूड़ा हटवाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। प्राधिकरण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करने के पश्चात् भी अभी तक यहां से कूड़ा शिफ्ट नहीं किया गया है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल व सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। मधुबन बापूधाम योजना एक आवासीय योजना है तथा यहां पर विकास सम्बन्धी अन्य समस्यायें पूर्व से भी विद्यमान है। ऐसे में इस नवीन समस्या के उत्पन्न हो जाने से योजना की छवि धूमिल हो रही है।

अतः अनुरोध है कि मधुबन बापूधाम के एसटीपी में विगत वर्ष नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को अन्यत्र हटाने हेतु अपने अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बृजेश कुमार) 27.6.23
सचिव

पृष्ठांकन–491 I & II /4/ई0ई0 जोन–3/2023–24

दिनांक 27.6.2023

प्रतिलिपि–

1– उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

2– सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सत्यापित प्रति

सुधीर कुमार पाण्डेय
अधिशासी अभियन्ता

सचिव 27.6.23

General Letter 2023

NOTARY ★ UTTAR PRADESH
नोटरी उत्तर प्रदेश
प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटरी
गाजियाबाद (उ0प्र0)
04 (13) 92

ANNEXURE A-2 237

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 417 4/ई०ई० जोन–3/2023–24 दिनांक 26.7.2023

महत्वपूर्ण/आवश्यक

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषय:– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के डी पॉकेट स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी के अन्दर विगत वर्ष एवं विगत दिनों जमा किये गये कूड़े का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष कांवड यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बन्द रहने एवं इस वर्ष मेरठ रोड से यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम के एसटीपी में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा यहां से मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्राउण्ड पर शिफ्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश प्राप्त हुए थे परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को अभी तक यहां से शिफ्ट नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी उक्त कूड़े को हटाने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है। **IGRS के माध्यम से भी कूड़ा हटवाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।** प्राधिकरण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करने के पश्चात् भी अभी तक यहां से कूड़ा शिफ्ट नहीं किया गया है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल व सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। योजना के आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु अधिशासी अभियंता जोन–3 से सम्पर्क कर अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि मधुबन बापूधाम के एसटीपी में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर कराने हेतु अपने अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 25/7/23
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन–417 II/4/ई०ई० जोन–3/2023–24 दिनांक 26.7.2023
प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सत्यापित प्रति
(हस्ताक्षर)
सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

(हस्ताक्षर) 25/7/23
सचिव

NOTARY
प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटरी
गाजियाबाद (उ0प्र0)
04 (13) 92
UTTAR PRADESH

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 181 4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांक 21.9.2023

अनुस्मारक पत्र,
महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषयः– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के डी पॉकेट स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक संख्या–491/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 27.06.2023 एवं पत्रांक संख्या–47/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 26.07.2023 जो कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी के अन्दर विगत वर्ष एवं इस वर्ष नगर निगम द्वारा एसटीपी परिसर में जमा किये गये कूड़े को हटाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बन्द रहने एवं इस वर्ष मेरठ रोड से यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम के एसटीपी में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा यहां से मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्राउण्ड पर शिफ्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश प्राप्त हुए थे परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को अभी तक यहां से शिफ्ट नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी उक्त कूड़े को हटाने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है। IGRS के माध्यम से भी कूड़ा हटवाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। प्राधिकरण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करने के पश्चात् भी अभी तक यहां से कूड़ा शिफ्ट नहीं किया गया है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल व सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। योजना के आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु अधिशासी अभियंता जोन–3 से सम्पर्क कर अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि मधुबन बापूधाम के एसटीपी में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर कराने हेतु अपने अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
19/9/23
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन–181 8 /4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांक 21.9.2023

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सत्यापित प्रति
सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

सचिव

NOTARY
प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटरी
गाजियाबाद (उ0प्र0)
04 (13) 92
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः 316 /4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांकः 6.12.2023

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषयः– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट डी स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रांक संख्या–491/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 27.06.2023, पत्रांक संख्या–47/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 26.07.2023 एवं पत्र संख्या–181/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 21.09.2023 जो कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी प्लान्ट के अन्दर विगत वर्ष एवं इस वर्ष नगर निगम द्वारा एसटीपी परिसर में जमा किये गये कूड़े को हटाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष एवं इस वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम योजना के एसटीपी के परिसर में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह आश्वासन दिया गया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा एसटीपी परिसर से हटाकर मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्रउण्ड पर शिफ्ट करा दिया जायेगा। परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को नगर निगम द्वारा अभी तक एसटीपी परिसर से कूड़ा नहीं हटाया गया। मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी द्वारा निरन्तर पत्राचार के माध्यम से कूड़ा हटवाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्डीवाल एवं सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होने योजना के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। योजना के आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु अधिशासी अभियंता जोन–3 से सम्पर्क किया गया है।

अतः मधुबन बापूधाम के एसटीपी परिसर में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन–316 I/4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांक 6.12.2023

प्रतिलिपि–

1– सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सत्यापित प्रति

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

जिलाधिकारी
गाजियाबाद

NOTARY नोटरी
प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटरी
गाजियाबाद (उ0प्र0)
04 (13) 92
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ANNEXURE A-5

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः 476 /4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांकः 17.2.2024

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषयः– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट डी स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 316/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 06.12.2023 एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रांक संख्या–491/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 27.06.2023, पत्रांक संख्या–47/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 26.07.2023 व पत्र संख्या–181/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 21.09.2023 जो कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी प्लान्ट के अन्दर वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 एवं इस वर्ष नगर निगम द्वारा एसटीपी परिसर में जमा किये गये कूड़े को हटाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष एवं इस वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम योजना के एसटीपी के परिसर में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह आश्वासन दिया गया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा एसटीपी परिसर से हटाकर मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्राउण्ड पर शिफ्ट करा दिया जायेगा, परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को नगर निगम द्वारा अभी तक एसटीपी परिसर से कूड़ा नहीं हटाया गया। मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी द्वारा निरन्तर पत्राचार के माध्यम से कूड़ा हटवाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल एवं सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। योजना के आवंटियों में एस0टी0पी0 परिसर से कूड़ा न हटने के कारण अत्यधिक रोष व्याप्त है। आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु लगातार विकास प्राधिकरण कार्यालय में शिकायत की जा रही है।

अतः मधुबन बापूधाम के एसटीपी परिसर में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
15/2/24
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन–476I/4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांक 17.2.2024

प्रतिलिपि–

1– सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सचिव

सत्यापित प्रति
सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

नोटरी NOTARY
प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटरी
गाजियाबाद (उ0प्र0)
04 (13) 92
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

पत्रांक :- 279 /4/ई0ई० जोन-3/2023-24 दिनांक :- 9 अप्रैल, 2024

अनुस्मारक पत्र

महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

प्रेषक,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषय :- **मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट डी स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक 316/4/ई0ई0जोन-3/2023-24 दिनांक 06.12.2023 एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-476/4/ई0ई0जोन-3/2023-24 दिनांक 17.02.2024, पत्रांक संख्या-491/4/ई0ई0जोन-3/2023-24 दिनांक 27.06.2023, पत्रांक संख्या-47/4/ ई0ई0जोन-3/2023-24 दिनांक 26.07.2023, पत्र संख्या-181/4/ ई0ई0जोन-3/2023-24 दिनांक 21.09. 2023 व जो कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी प्लान्ट के अन्दर वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 एवं इस वर्ष नगर निगम द्वारा एसटीपी परिसर में जमा किये गये कूड़े को हटाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष एवं इस वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तत्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम योजना के एसटीपी के परिसर में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह आश्वासन दिया गया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा एसटीपी परिसर से हटाकर मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्रउण्ड पर स्थानान्तरित करा दिया जायेगा, परन्तु तत्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को नगर निगम द्वारा अभी तक एसटीपी परिसर से नहीं हटाया गया है। मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी द्वारा निरन्तर पत्राचार के माध्यम से कूड़ा हटवाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल एवं सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। योजना के आवंटियों में एस0टी0पी0 परिसर से कूड़ा न हटने के कारण अत्यधिक रोष व्याप्त है। आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु लगातार विकास प्राधिकरण कार्यालय में शिकायत की जा रही है।

सत्यापित प्रति

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

NOTARY नोटरी
प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटरी
गाजियाबाद (उ0प्र0)
04 (13) 92
UTTAR PRADESH

24

अतः मधुबन बापूधाम के एसटीपी परिसर में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अतुल वत्स)
आई०ए०एस०
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन :– 2791 &2 II /4/ई0ई० जोन–3/2023–24 दिनांक :– 9 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, जी0डी0ए0 को इस निर्देश के साथ कि मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, गाजि0 से समन्वय स्थापित कर उक्त को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सत्यापित प्रति

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

नोटरी NOTARY
प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटेरी
गाजियाबाद (उ0प्र0)
04 (13) 92
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

पत्रांक :- 840/4/ई०ई०-3 /2024 दिनांक :- 2/8/2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम, गाजियाबाद।

विषय :- मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट डी स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व से जमा एवं इस वर्ष एकत्रित किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 316/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 06.12.2023 एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–476/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 17.02.2024, पत्रांक संख्या–491/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 27.06.2023, पत्रांक संख्या–47/4/ ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 26.07.2023, पत्र संख्या–181/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 21.09.023 व जो कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी प्लान्ट के अन्दर वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 एवं इस वर्ष नगर निगम द्वारा एसटीपी परिसर में जमा किये गये कूड़े को हटाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत दो वर्षों एवं इस वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम योजना के एसटीपी के परिसर में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह आश्वासन दिया गया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा एसटीपी परिसर से हटाकर मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्राउण्ड पर शिफ्ट करा दिया जायेगा, परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को नगर निगम द्वारा अत्यन्त धीमी गति से एसटीपी परिसर से कूड़ा हटाया जा रहा है। मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी, पॉकेट डी अन्तर्गत एसटीपी के निकट के रिहायशी द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से कूड़ा न हटाने की शिकायत की जा रही है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल एवं सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि मधुबन बापूधाम के एसटीपी परिसर में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर तीव्र गति से अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अतुल वत्स)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन 846 I / /2024 दिनांक :- 2/अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई0–345ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, जी0डी0ए0 को इस निर्देश के साथ कि मुख्य अभियंता, नगर निगम, गाजियाबाद से समन्वय स्थापित कर उक्त को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

File No...............N.P...............

Custodian..........Sign./Dt.............

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सत्यापित प्रति

सुधीर कुमार पाण्डेय
सहायक अभियन्ता

कार्यालय पता :- निकट पुराना बस स्टैण्ड, विकास पथ विकास मार्ग, गाजियाबाद। वेब साईट : www.gdaghaziabad.in
दूरभाष : 0120–2791114 E-mail : gdaghaziabad@gmail.com

नोटरी NOTARY
प्रेम प्रकाश गर्ग
नोटरी
गाजियाबाद (उ0प्र0)
04 (13) 92
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D&Y

DY Law Chambers <info@dylawchambers.com>

Advance Service | O.A. 1090/2024 Madhuban Bapudham Welfare Society v. Ghaziabad Nagar Nigam & Ors. | GDA Reply

1 message

DY Law Chambers <info@dylawchambers.com> 11 December 2024 at 12:03
To: "advabhidhc@gmail.com" <advabhidhc@gmail.com>

Sir,

Please receive advance service of Reply filed by Respondent NO. 2, Ghaziabad Development Authority in O.A. 1090/2024 Madhuban Bapudham Welfare Society v. Ghaziabad Nagar Nigam & Ors.

Warm Regards,

D&Y Law Chambers
Off- A-131 (LGF), Sector 46, Noida 201301
Ch-203, Setalvad Chambers, Supreme Court of India
Ch-374, District Court, Gautam Buddha Nagar
+91-7838848157, +91-8860050449

Please do not print this email unless it is necessary. Every unprinted email helps the environment.

Reply GDA Madhuban Bapudham OA 1090 .pdf
7334K